फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोदा बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 97/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 10.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा आवंटन पत्रावली पेश नहीं गई। आवंटन पत्रावली पेश करने के अवसर को बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम खरडौदा की साबिक आराजी न. 1206/7 किता 1 रकबा 4 बिघा भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी से अंकित रही है। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक आराजी न. के नये आराजी न. 2480, 2561/2480, 2562/2480 किता 3 रकबा 0.8500 है. भूमि दर्ज हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन कहा की उक्त भूमि का जो नया नक्शा दर्ज किया गया है। उक्त नक्शा साबिक नक्शे वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि से भिन्न व अलग है जबकि प्रार्थीगण वर्तमान नक्शे व वर्तमान आराजी न. 2477 किता 1 रकबा 1.0800 है. भूमि से 0.8640 है. भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है जबकि वर्तमान खसरा संख्या 2480, 2561/2480, 2562/2480 रकबा 0.8500 है. भूमि प्रार्थी के नाम अंकित कर नक्शे में गलत तरमीम कर दी गई है जिससे संशोधित कर साबिक नक्शे व मौके अनुसार दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि प्रार्थी गोदा मेघवाल द्वारा व उपस्थित मौतबिरान द्वारा आराजी न. 2477 रकबा 1.0800 है. की जगह पर अपनी 4 बिघा भूमि आवंटन होना बताया गया है जबकि उक्त भूमि श्री गोदा, रामलाल, कन्हैयालाल पिता उंकारलाल मेघवाल, भगु बाई उंकारलाल मेघवाल की सामलाती भूमि है राजस्व ग्राम खरडौदा की साबिक आ.न. 1206/6, 1206/7 के नवीन आराजी न. 2477, 2480, 2561/2480, 2562/2480 है जिन पर श्री कन्हैयालाल, रामलाल, गोदा पिता उंकारलाल का सामलाती रूप से कब्जा है। सेटलमेंट के पुर्व के नक्शे में उक्त साबिक आराजी न. की तरमीम नहीं होने से प्रार्थी श्री गोदा पिता उंकार लाल मेघवाल को आवंटन पत्रावली का नक्शा उपलब्ध कराये जाने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक आराजी न. 1206/7 की तरमीम नहीं हो रखी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आवंटन पत्रावली पेश करने हेतु आदेशित किया गया था जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जिससे न्याय निर्णयन नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो की रोटेशन के दौरान कोई त्रुटि हो। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं पाते है। अतः प्रकरण धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से व वादी के वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:53:40 IST
Reason: SelfAttested